अल्पसंख्यक कल्याण
एवं
वक़्फ़ विभाग

वित्तीय वर्ष 2017–2018

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक

(परफारमेन्स–बजट)

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण
एवं
वक़्फ़ विभाग

वित्तीय वर्ष 2017–2018

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक

(परफारमेन्स–बजट)

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ

प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण करते हुये अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (परफारमेन्स बजट) वर्ष 2017–2018 प्रस्तुत किया जा रहा है।

आशा है कि इससे आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि एवं आवंटित परिव्यय के उपभोग पर सूक्ष्म नियंत्रण रखने तथा उसके समतुल्य उपलब्धियाँ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान से सम्बन्धित योजनाओं को गतिशील एवं अधिक प्रभावशाली बनाने में विभाग सफल होगा।

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विषय–सूची

क्र0सं0			विषय	पृष्ठ संख्या
1			भूमिका	1
2			विभाग का उद्देश्य	3
3			संगठनात्मक व्यवस्था	4
			प्रशासनिक इकाइयां	4
4			अधीनस्थ विभागों के कार्यकलाप	4
		1	सर्वे कमिश्नर वक़्फ़	4
		2	अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	6
		3	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	6
		4	उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड	6
		5	उत्तर प्रदेश हज समिति	7
		6	उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड	7
		7	उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड	8
		8	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग	8
		9	वसीका कार्यालय	8
		10	उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद्	8
		11	उ0प्र0 वक्फ् न्यायाधिकरण	9
5			विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम	9
	5.1		निदेशालय द्वारा संचालित योजनायें	9
		5.1.1	छात्रवृत्ति योजना (पूर्व दशम)	9
		5.1.2	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	10
		5.1.3	अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अघ्ययनरत छात्र/ छात्राओं को विश्वविद्यालयों/संस्थानो में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति	12
		5.1.4	मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग	12
		5.1.5	अरबी–फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लेने की योजना	13
		5.1.6	अरबी–फारसी मदरसों का पोषण अनुदान	13
		5.1.7	प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में मदरसा वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)	14
		5.1.9	राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना	15
	5.2		केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाए	15
		5.2.1	कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास का निर्माण / कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	15

			भवन निर्माण	
		5.2.2	मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना	16
		5.2.3	भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना	16
		5.2.4	भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	17
		5.2.5	भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्व दशम् छात्रवृत्ति	18
		5.2.6	भारत सरकार द्वारा संचालित फ्री–कोचिंग एण्ड एलाइड योजना	18
		5.2.7	मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक डेवलपमेंन्ट प्लान	19
	5.3		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनायें	19
		5.3.1	व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना	19
		5.3.2	परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	20
		5.3.3	अधिकारिता तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	20
	5.4		उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनायें	20
		5.4.1	वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास	20
		5.4.2	निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य	21
	5.5		उत्तर प्रदेश हज समिति द्वारा हज यात्रियों के लिये व्यवस्थाएं	21
		5.5.1	उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु उचित व्यवस्थाएं	21
	परिशिष्ट–1		अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सृजित पदों का विवरण	23
	परिशिष्ट–2		अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का संगठनात्मक ढांचा	24
6.0	परिशिष्ट–3		वित्तीय आवश्यकताओं का वर्गीकरण	25
	6.1		कार्यक्रमवार वर्गीकरण	25
	6.2		उद्देश्यवार वर्गीकरण	26
	6.3		वित्तीय संसाधनों का श्रोत	27

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2017–2018 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक

(परफॉरमेन्स–बजट)

1 भूमिका

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्धन का भी अधिकार देता है।

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन तथा समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या 4056/बीस–3–95–539(2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का गठन किया गया।

प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 15/चालीस–2–94–14(15) /91 दिनांक 7.10.1994 द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों तथा अधिसूचना संख्या 440/52–4–2003–1(3)–96, दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में समुदाय का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	13.43	18.49
2.	ईसाई	2.34	0.13
3.	सिक्ख	1.86	0.41
4.	बौद्ध	0.77	0.18
5.	पारसी	नगण्य	नगण्य
6.	जैन	0.41	0.12
	सभी अल्पसंख्यक समुदायों को मिलाकर	18.81	19.33

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नवत् है :–

क्र0सं0	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4
1.	मुस्लिम	68.98	95.62
2.	ईसाई	12.02	0.66
3.	सिक्ख	9.56	2.10
4.	पारसी	0.05	नगण्य
5.	बौद्ध	3.97	0.94
6.	जैन	2.10	0.64

देश की अल्पसंख्यक समुदाय की कुल जनसंख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 19.33 प्रतिशत है।

जनगणना 2001 के आधार पर प्रदेश के 24 ऐसे जिलों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, की सूची निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या
1	2	3
1.	रामपुर	52.91
2.	मुरादाबाद	46.12
3.	बिजनौर	43.56
4.	जे0पी0 नगर	40.53
5.	सहारनपुर	40.49
6.	मुजफ्फरनगर	39.27
7.	बलरामपुर	37.05
8.	बहराइच	35.42
9.	बरेली	35.16
10.	मेरठ	34.40
11.	सिद्धार्थनगर	29.95
12.	पीलीभीत	28.65
13.	बागपत	26.48
14.	गाजियाबाद	25.17
15.	लखीमपुर खीरी	22.54
16.	बाराबंकी	22.43
17.	लखनऊ	21.73
18.	बदायूँ	21.71
19	बुलन्दशहर	21.47

20	श्रावस्ती	21.00	
21.	शाहजहांपुर	20.32	
22	सम्भल	46.12	(अनुमानित)
23	हापुड़	25.17	(अनुमानित)
24	शामली	29.27	(अनुमानित)

2. विभाग के उद्देश्य

1. अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने (ड्राप–आउट) की प्रवृत्ति नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति वितरित कर शिक्षा का प्रसार करना।

2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकें।

3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, व कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

4. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण।

5. वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को बढ़ाना ताकि वक़्फ़ वाकिफ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।

6. मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुंच बढ़ाना।

7. निजी/अर्द्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के सेवा योजन की स्थिति में सुधार हेतु चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराना।

8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।

राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा

क्रियान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा का पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस आशय से यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय समितियों,जो योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिये गठित की गई हो, में सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित समितियों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

3. संगठनात्मक व्यवस्था

प्रशासनिक इकाइयाँ

विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय विभाग के निम्नलिखित अंगो द्वारा किया जाता है :–

1. सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड।
4. उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड।
5. उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति।
6. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़।
7. उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़।
8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग।
9. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद,।
10. वसीका कार्यालय, लखनऊ।
11. उ0प्र0 वक्फ् न्यायाधिकरण।

4. अधीनस्थ विभागों के कार्यकलाप

4.1 सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़

उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम–1960 के अंतर्गत सर्वे कमिश्नर वक्फ संगठन की स्थापना वर्ष 1976 में की गयी । इस संगठन का प्रमुख कार्य अपंजीकृत तथा नवसृजित अवकाफ का पता लगाकर उनके पंजीकरण हेतु सर्वे रिपोर्ट सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराना है।

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ0प्र0शासन को पदेन सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 को पदेन अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0, प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को अपर सर्वेक्षण आयुक्त वक्फ, प्रदेश के उप जिलाधिकारियों को सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ तथा समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सहायक सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ घोषित किया गया है। मुख्यालय में एक उपायुक्त व एक सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ उ0प्र0, तृतीय श्रेणी के 14 एवं चतुर्थ श्रेणी के 04 तथा जनपदीय कार्यालयों हेतु मुख्य वक्फ निरीक्षक के 37, वक्फ निरीक्षक के 34, वरिष्ठ सहायक के 70, कनिष्ठ सहायक के 70 एवं चतुर्थ श्रेणी के 70 पद सृजित है।

उत्तर प्रदेश में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्व में मुस्लिम वक्फ अधिनियम–1960 के अंतर्गत वर्ष 1976 से 1986 के मध्य कराया गया था, जिसमें 1,08,069 सुन्नी अवकाफ तथा 3,358 शिया अवकाफ कुल 1,11,427 अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियॉ प्रकाश में आयी थी।

शासनादेश संख्या–573/52–2–2014–2(288)/2013 दिनांक 16.04.2014 द्वारा वक़्फ़ अधिनियम–1995 (वक्फ अधिनियम–2013 यथा संशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों के पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के उपरांत 10 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत नव सृजित/अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का पश्चातवर्ती सर्वेक्षण के कार्य के अन्तर्गत वर्तमान में सुन्नी/शिया की 15,010 वक्फ् सम्पत्तियॉ प्राथमिक सर्वे में चिन्हित की जा चुकी हैं जिसके सापेक्ष 1,170 वक्फ् सम्पत्तियों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए उनके सर्वे प्रपत्र पूर्ण किये जा चुके हैं।

प्रदेश में स्थित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों/अतिक्रमण के कारण शांति व्यवस्था की समस्या के स्थायी निदान एवं सामाजिक न्याय की दशा में सकारात्मक कदम उठाये जाने के उददेश्य से शासन द्वारा कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण कराये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या–141/52–2–12–2(69)/07 टी0सी0–01 दिनांक 11.04.2012 द्वारा लिया गया है। इस योजना को प्रदेश में ''अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना '' का नाम दिया गया है, इसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्व, जैन एवं पारसी समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करायी जा रही है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। उक्त योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक 12325 कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों का चयन चहारदीवारी के निर्माण हेतु किया गया है जिसमें से 10374 स्थलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1131 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है शेष 820 अनारम्भ हैं।

वक्फ अधिनियम–1995 (वक्फ अधिनियम–2013 यथा संशोधित) की धारा 83 में किये गये प्राविधान के अंतर्गत अधिसूचना संख्या–360/52–2–14–2(279)–13 दिनांक 03.03.2014 द्वारा जनपद लखनऊ व रामपुर में वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जो वक्फ अथवा वक्फ सम्पत्ति के विवादों का निस्तारण करने, विभिन्न प्रकरणों का निर्णय करने, अवैध अध्यासियों को बेदखल करने अथवा लीज प्राप्त करने/लीज देने वाले के मध्य अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करने के संबंध में अभिनिर्णय कर सकेंगे। उक्त

न्यायाधिकरणों हेतु 02 अध्यक्ष, 04 सदस्य, 02 रजिस्ट्रार सहित तृतीय श्रेणी के 16 एवं चतुर्थ श्रेणी/अनुसेवक के 08 कुल 32 पद सृजित किये गये है। प्रदेश में वक़्फ़ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं उसके विकास के लिये यह महत्वपूर्ण संगठन है।

4.2 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय

निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों का गठन वर्ष 1995–96 में किया गया है। निदेशालय स्तर पर निदेशक का एक पद, संयुक्त निदेशक का पॉच पद तथा वित्त एवं लेखाधिकारी का एक पद सृजित है। प्रदेश के 13 मण्डलों में मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों तथा प्रदेश के 75 जनपदों में से 75 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के पद सृजित हैं ।

निदेशालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ–साथ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना,पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा अरबी, फारसी मदरसों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाता है।

4.3 उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन 17 नवम्बर, 1984 को कम्पनी के रूप में किया गया। निगम की अधिकृत पूंजी रूपया 30.00 करोड़ है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय सातवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ है। जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निगम के पदेन जिला प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हैं। निगम द्वारा टर्मलोन योजना अपनी अंशपूंजी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल सुधार योजना तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जाती है।

4.4 उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड

प्रदेश में अवकाफ की सुरक्षा एवं विकास तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से उ0प्र0 वक्फ़ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 अप्रैल, 1987 को रूपया पांच करोड़ की अधिकृत अंशपूंजी से की गई थी। वर्तमान में निगम की अंश पूॅजी रू0 10.00 करोड़ है। निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. अवकाफ के विकास हेतु उनकी सम्पत्तियों पर व्यावसायिक एवं आवासीय केन्द्रों, दुकानों, कार्यालयों, होटलों, छात्रावासों तथा विद्यालयों का निर्माण।

2. अवकाफ की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन पर व्यावसायिक/ औद्योगिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना।

3. मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों तथा ईदगाहों आदि का विकास, अनुरक्षण एवं मरम्मत।

4. वक़्फ़ की ओर से मुसाफिरखानों, होटलों, पुस्तकालयों, स्कूलों आदि की स्थापना कराना।

5. वक़्फ़ संस्थाओं, मुतवल्लियों तथा वक़्फ़ के लाभ–गृहीताओं को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना,तकनीकी एवं शोध प्रयोगशालाएं स्थापित करना।

6. दरगाहों तथा मुस्लिम तीर्थ यात्रियों एवं जायरीन को विश्राम गृह तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना और ईदगाहों के वार्षिक उर्स का प्रबन्ध करना।

7. आवासीय सहकारी,उपभोक्ता सहकारी,औद्योगिक सहकारी एवं कृषक सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने में मुतवल्लियों एवं वक्फ़ के लाभ–गृहीताओं को सहायता प्रदान करना।

8. वक़्फ़ संस्थाओं के लिये सर्वेक्षक, ठेकेदार एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना।

4.5 उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की पारम्परिक हज यात्रा को सुविधाजनक ढंग से सम्पन्न कराने के लिये द हज कमेटी एक्ट 2002 के अर्न्तगत उ0प्र0 राज्य हज समिति विधिवत रुप से गठित है।

4.6 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अर्न्तगत उ0प्र0 सुन्नी सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। वर्तमान बोर्ड का गठन अधिसूचना संख्या 1309/52–2–09–639/83 टी0सी0–1 दिनांक 30–10–09 द्वारा किया गया था।

वक़्फ़ बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. अवकाफ का पंजीकरण करना।

2. मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति की नियुक्ति एवं उन्हे हटाने सम्बन्धी कार्य।

3. अनाधिकृत रूप से अध्यासित/विक्रय की गई वक़्फ़ सम्पत्ति का कब्जा वापस लेना।

4. वक़्फ़ सम्पत्तियों से सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी।

5. वक़्फ़ विकास निगम की सहायता से वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास। बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत अवकाफ की आय से प्राप्त होने वाला अंशदान है।

4.7 उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम–1995 के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। शिया वक्फ बोर्ड के निर्वाचन हेतु दिनांक 21 मई 2014 द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी है।

4.8 उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

उ0प्र0 प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय–समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया।

4.9 वसीका कार्यालय हुसैनाबाद, लखनऊ

ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अवध के तत्कालीन शासकों से चल/अचल सम्पत्ति के रूप में कुछ धनराशि अनुबन्ध पत्र पर ऋण स्वरूप प्राप्त की थी। अनुबन्ध के अनुसार उक्त ऋण पर ब्याज की धनराशि को ऋणदाताओं द्वारा इंगित उनके उत्तराधिकारियों/ सेवकों को पीढ़ी दर पीढ़ी वसीका के रूप में अदा की जाती है। वसीका वितरण हेतु वसीका कार्यालय स्थापित है जो पूर्व में भारत सरकार के नियन्त्रण में था। वर्ष 1957 से यह कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आ गया। वर्ष 1995–96 में उ0प्र0 सरकार में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन होने के बाद इसे इस विभाग के अधीन कर दिया गया। वसीका कार्यालय द्वारा आठ प्रकार के वसीकों, 11 प्रकार के राजनीतिक पेन्शनों तथा 13 प्रकार के अमानती नोट पर ब्याज के भुगतान किये जाने के साथ–साथ काला इमामबाड़ा तथा मिर्जा अली खां के मकबरे के नियन्त्रण/देखरेख का कार्य भी किया जाता है।

4.10 उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित/गैर अनुदानित अरबी फारसी मदरसों के निरीक्षण एवं उसके प्रशासनिक कार्यों की देख–रेख के लिए निरीक्षक अरबी–फारसी मदरसों की मुन्शी, मौलवी, आलिम, कामिल तथा फाजिल परीक्षाओं के लिए पदेन रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षायें, उत्तर प्रदेश का पद भी हैं।

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद में एक रजिस्ट्रार, दो उप रजिस्ट्रार/निरीक्षक, एक सहायक लेखाधिकारी, एक कार्यालय अधीक्षक, छः वरिष्ठ लिपिक, दो आशुलिपिक, नौ कनिष्ठ लिपिक, एक सह स्टोरकीपर, दो टंकक, एक दफ्तरी तथा सात चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में तहतानिया, फौकानिया, तथा आलिया स्तर के प्रदेश में कुल 7777 मान्यता प्राप्त

मदरसे हैं। प्रदेश के 560 अरबी–फारसी मदरसे राज्य सरकार की अनुदान सूची पर हैं।

प्रदेश शासन द्वारा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की मुन्शी तथा मौलवी परीक्षा को राजकीय सेवाओं के प्रयोजनार्थ हाई स्कूल स्तर तथा आलिम परीक्षा को इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता का स्वरूप प्रदान किया गया है।

शैक्षिक सत्र वर्ष 2017 की परीक्षायें माह अप्रैल 2017 में सम्पन्न करायी गयी।, परीक्षा वर्ष 2017 की परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात माह जुलाई 2017 में परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र (सनदें) सम्बन्धित मदरसों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करा दी जायेगी।

प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों की विभिन्न जनपदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से मान्यता प्रदान किये जाने के सकारात्मक उद्देश्य से शासनादेश संख्या–2029/52–3–2016– सा (5)/2014 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार सभी स्तर तक की मान्यता उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर परिषद स्तर पर गठित समिति के निर्णयानुसार मान्यता प्रमाण–पत्र उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा जारी किये जाते हैं।

राज्य में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुसंगिक विषयों की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अध्यादेश 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–12 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया है।

4.11–उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण

प्रदेश में स्थित वक्फ सम्पत्तियों के विवादों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–360/52–2–14–2(279)–13 दिनांक 03.03.2014 के माध्यम से उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ/रामपुर का गठन किया गया है। उक्त न्यायाधिकरणों में शासन द्वारा अध्यक्ष, सदस्य व रजिस्ट्रार की नियुक्तियॉ की गयी हैं। न्यायाधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य, व्ययों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा धनराशि निर्गत की जाती है।

5. विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम

5.1 निदेशालय द्वारा संचालित योजनायें

छात्रवृत्ति योजना

5.1.1 पूर्वदशम छात्रवृत्ति

पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में संशोधित शासनादेश संख्या 2919/52–3–08–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 के अनुसार समुदाय के ऐसे सभी छात्रों, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 1.00 लाख है, योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया।

शासनादेश संख्या 2690/52–3–2004 दिनांक 16 अक्टूबर 2004 द्वारा अल्पसंख्यक पिछडी जाति के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किये जाने की व्यवस्था थी। शासनादेश संख्या 766/52–3–12–8(12)/2004 दिनांक 17 अप्रैल 2012 द्वारा अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छात्रवृत्ति वितरण में और अधिक पारदर्शिता लाये जाने एवं लाभार्थी को त्वरित भुगतान के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 1973/52–3–2012–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 13 अगस्त 2012 तथा शासनादेश संख्या 3287/52–3–2012–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 11 अक्टूबर 2012 द्वारा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण बैंक खाते के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 286/52–3–2014–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 18 फरवरी 2014 द्वारा दी गयी प्रकिया के अनुसार पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण एवं आवश्यक जॉच तथा आवेदन पत्रों को भविष्य हेतु अनुरक्षित/सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में निर्गत शासनादेश सं0–966/26–3–2014–4 (215)/90–टी0सी0–1 दिनॉक 20 जून 2014 द्वारा योजनान्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आन लाईन आवेदन किये जाने की व्यवस्था एवं योजनान्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई गई परिलक्षित मॉग के आधार पर शासनादेश सं0–1654/52–3–2016–14 (02)/2015 दिनॉक 30 जून 2017 द्वारा पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की देय धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में रू0 3012.00 लाख तथा (जिला योजना पक्ष) में रु0 1053.00लाख अर्थात् कुल रू0 4065.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान के सापेक्ष 1,47,100 छात्र/छात्राओं को रू0 3080.06 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अर्न्तगत रु0 2512.00 लाख तथा (जिला योजना) पक्ष में रू0 1053.00 लाख अर्थात् कुल रु0 3565.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

5.1.2 दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासन द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के कम में शासनादेश संख्या 4030/52–3–2012–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 14 जनवरी 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली–2012, शासनादेश संख्या 823/52–3–2013–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 21 मार्च 2013 एवं शासनादेश संख्या 1914/52–3–2013–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 13 नवम्बर 2013 के कम में निर्गत संशोधित शासनादेश सं0–18/52–3–2015–14(72)/95 टी0सी0

दिनांक 05 जनवरी 2015 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्रा, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे तथा योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों के न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंको के न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित मासिक दरों पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवाछात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह–1	रू0 550/–	रू0 1200/–
समूह–2	रू0 530/–	रू0 820/–
समूह–3	रू0 300/–	रू0 570/–
समूह–4	रू0 230/–	रू0 380/–

योजनान्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई गई परिलक्षित मॉग के आधार पर शासनादेश सं0–1539/26–3–2014–4 (215)/90–टी0सी0–1 दिनॉक 10 सितम्बर 2014 द्वारा पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की देय धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

शासन द्वारा योजना को और पारदर्शी एवं त्वरित भुगतान के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2013–14 में लिए गये एक महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1786/52–3–13–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 10 अक्टूबर 2013 एवं शासनादेश संख्या 95/52–3–2017–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 14 मार्च 2017 के द्वारा योजना में पात्र छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

उक्त के क्रम में योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 286/52–3–2014–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 18 फरवरी 2014 द्वारा दी गयी प्रकिया के अनुसार पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण एवं आवश्यक जॉच तथा आवेदन पत्रों को भविष्य हेतु अनुरक्षित/सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था दी गयी है ।

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में आयोजनेत्तर /आयोजनागत पक्ष में मूल प्राविधान रू0 14867.00 लाख की धनराशि प्राविधान के सापेक्ष 4,55,848 छात्र/छात्राओं को रू0 14064.71 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में रू0 14867.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

5.1.3 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से शासनादेश संख्या 1683 /52–3–07–14(72)/95टी0सी0 दिनांक 25 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में शासन द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 4030/52–3–2012–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 14 जनवरी 2013 द्वारा **उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली–2012,** शासनादेश संख्या 823/52–3–2013–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 21 मार्च 2013 **एवं** शासनादेश संख्या 1914/52–3–2013–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 13 नवम्बर, 2013 के क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश सं0–18/52–3–2015–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 05 जनवरी 2015 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की **अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है**, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे तथा योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक छात्र/छात्रा की शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू0 50,000/– वार्षिक (जो भी कम हो) को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

योजनान्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई गई परिलक्षित मॉग के आधार पर **शासनादेश सं0–1539/26–3–2014–4 (215)/90–टी0सी0–1 दिनॉक 10 सितम्बर 2014 द्वारा पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की देय धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित किये जाने की व्यवस्था दी गयी** है ।

शासन द्वारा योजना को और अधिक पारदर्शी एवं त्वरित भुगतान के उद्वेश्य से वित्तीय वर्ष 2013–14 में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1786/52–3–13–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के द्वारा योजना में पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किये जाने दी गयी है एवं शासनादेश संख्या 286 /52–3–2014–14(72)/95 टी0सी0 दिनांक 18 फरवरी 2014 एवं शासनादेश संख्या 95 /52–3–2017–14(72)/95 दिनांक 14 मार्च 2017 द्वारा दी गयी प्रकिया के अनुसार पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण एवं आवश्यक जांच तथा आवेदन पत्रों को भविष्य हेतु अनुरक्षित/सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था है।

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में आयोजनागत पक्ष (राज्य योजना) में 15000.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 2,91,991 छात्र/छात्राओं को रू0 14999.78 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में रू0 15000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

5.1.4 मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 से शासनादेश संख्या 2997/52–3 –2005–सा0(2)/2005 दिनांक 10 फरवरी, 2006 के अनुसार जनपद लखनऊ में 100

छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रू0 15000/– प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 100 छात्र/छात्राओं पर रू0 15.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था किया गया था परन्तु समयाभाव के कारण मात्र रू0 7. 50 लाख व्यय किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत 100 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के लिये बजट में रू0 15.00 लाख की धनराशि का आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधान है।

5.1.5 अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लिये जाने की योजना

अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर अरबी फारसी मदरसा बोर्ड स्थापित है। पूर्व में प्रदेश के तहतानियां, फौकानियां तथा उच्च श्रेणी के मदरसों को मान्यता रजिस्ट्रार स्तर से प्रदान की जाती थी। वर्ष 2003 में शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी निर्णय लेकर तहतानियां, फौकानिया स्तर तक की मान्यता का अधिकार जनपद स्तर पर दे दिया गया है। अब तक प्रदेश के 7777 मदरसों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिये शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये समय–समय पर आलिया स्तर के मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 560 अरबी फारसी मदरसों को शासकीय अनुदान दिया जा रहा है। वेतन का भुगतान सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन भुगतान हेतु रू0 38000.00 लाख तथा आयोजनागत पक्ष से 100 आलिया स्तर के मदरसों में वेतन आदि के भुगतान हेतु रू0 8000.00 लाख आयोजनागत नवसृजित पद के सापेक्ष रू0 350.00 लाख तथा 146–आलिया स्तर के मदरसों को अनुदान हेतु रू0 9970.00 अर्थात कुल रु0 56320.00 लाख प्राविधान के सापेक्ष रू0 50285. 15 लाख का व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में पुराने 360 मदरसों हेतु राजस्व पक्ष में वेतन भुगतान हेतु रू0 47940.26 लाख तथा से 100 आलिया स्तर के मदरसों के कर्मचारियो को वेतन भुगतान हेतु रू0 9523.20 लाख, 146 नये मदरसों को अनुदान हेतु रू0 10654.01लाख अर्थात कुल रु0 68117.47 लाख का प्राविधान किया गया है।

5.1.6 अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना

अनुदानित मदरसों में विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण, अनुषांगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिये निर्धारित शर्तो एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में रू0 10.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 4.15 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 10.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

5.1.7 प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये राज्य सरकार ने प्रथम् बार वर्ष 2003–2004 के बजट में रू0 285.60 लाख की वित्तीय सहायता दी थी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित मदरसों को तीन ट्रेडों पर आधारित मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना के लिये तीन इन्स्ट्रक्टर, एक लैब असिस्टेण्ट तथा एक अनुचर के लिये राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता था। इस योजना के अर्न्तगत सम्बन्धित ट्रेडो की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसको पूरा करने पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण–पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये अनुदेशकों आदि के चयन के लिये जिलाधिकारी के स्तर पर चयन समिति बनायी गयी है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों को भी रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार/तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार भी मिलता है।

वर्ष 2013–14 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 30 अगस्त 2013 एवं शासनादेश संख्या 1589/52–3–2013–सा(2)/08 दिनांक 20 सितम्बर 2013 के क्रम में निदेशालय के आदेश संख्या 4236/अ0स0क0नि0/म0प0म0मि0आई0टी0आई0/2014 दिनांक 25 जनवरी 2014 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं में कार्यरत उक्त कार्मिकों के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले कार्मिक को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैन्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम् तथा राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि तथा अन्यथा की स्थिति में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय की दरों को दो गुना कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कुल 140 मदरसों में नियुक्त तीन–तीन अनुदेशक, एक–एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक–एक अनुचर के

वेतन/मानदेय के भुगतान पर रू0 1431.65 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 2117.31 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था कराई गई है।

5.1.8 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना–

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं में अध्यापन कार्य के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा की भॉति मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकानिया स्तर के 03 एवं आलिया स्तर के 03 कुल 09 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है ।

राज्य पुरस्कार हेतु चयनित अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को रू0 10,000/– नकद पुरस्कार, चॉदी का पदक तथा शाल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में योजना के लिए रू0 0.70 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वर्ष 2017–18 में योजना के लिए रू0 7.25 लाख का प्राविधान कराया गया है।

5.2 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सघन क्षेत्र विकास योजना के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाओं में शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में संचालित योजनायें निम्नवत् हैंः–

5.2.1 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण/ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये भारत सरकार की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता से यह योजना वर्ष 1993 से चलायी जा रही है।

अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में संस्थाओं में 5 छात्रावासों तथा 67 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम् किश्त के रूप में रू0 1364.53 लाख की

धनराशि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के बाद वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 29.46 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई जो व्यय कर ली गयी ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में छात्रावास निर्माण हेतु रू0 340.58 लाख एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु रू0 340.58 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है।

5.2.2 अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

इस योजनान्तर्गत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना शतप्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित है। योजना के अर्न्तगत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये भारत सरकार की गाइड लाइंस दिनांक 01–12–2008 के अनुसार स्नातक शिक्षक को रू0 6,000/ प्रतिमाह तथा परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को रू0 12,000/प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रू0 50,000/,विज्ञान एवं गणित किट हेतु रू0 15,000/, आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू0 1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

पूर्व सरकार की घोषणा दिनांक 28.01.2014 के अनुसार योजना में कार्यरत शिक्षकों में से स्नातक शिक्षकों का मानदेय रू0 8000/ तथा परास्नातक तथा परास्नातक के साथ बी.एड.शिक्षकों का मानदेय रू 15000/ करने तथा अतिरिक्त बढ़ी हुयी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय किया गया था ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश के मानदेय के रूप में रू0 33636.90 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त दी जाने वाली धनराशि रू0 5768.88 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था कराई गई है।

5.2.3.भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रदेश में लागू की गई है जो शत्प्रतिशत केन्द पुरोनिधानित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू0 2.50 लाख है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यावसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों, तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है।

पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति एवं पाठ्यक्रम शुल्क प्रदान प्रदान किया जाता है–

निर्धारित दरें :

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
स्नातक स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 500/– प्रति माह (रू0 5000/–वार्षिक अधिकतम)	रू0 1000/– प्रति माह (रू0 10. 000/–वार्षिक अधिकतम)
पाठ्यक्रम शुल्क	रू0 20. 000/–वार्षिक	रू0 20. 000/–वार्षिक

नोट :

वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रशासनिक व्यय के मद में रू0 293.32 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था है।

नोटः– योजनान्तर्गत चिन्हित 85 संस्थाओं के पात्र एवं चयनित छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क देय होगा, चाहे वह निर्धारित वार्षिक शुल्क रू0 20,000/– से कम अथवा अधिक हो।

इस योजना के अर्न्तगत छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000/– एवं दिवा छात्रों हेतु रू0 5000/– वार्षिक डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

5.2.4–भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासनादेश संख्या जी0आई0 25/52–1–2007–01 (140)/07 दिनांक 02 जनवरी, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना शत्प्रतिशत केन्द पुरोनिधानित योजना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 किये जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों अर्ह माने जायेंगे। पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति, एडमिशन एवं ट्यूशन फीस प्रदान की जाती है–

निर्धारित दरें :

श्रेणी	कक्षा का स्तर	दर (प्रति माह)	
		दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह–1	स्तानक/स्नात्कोत्तर स्तर के व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम	–	–
समूह–2	एम0फिल/पी0एच0डी0	रू0 550/–	रू0 1200/–
समूह–3	स्तानक/स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	रू0 300/–	रू0 570/–
समूह–4	कक्षा 11–12 एवं समकक्ष तकनीकी पाठ्यक्रम	रू0 230/–	रू0 380/–

नोट :

इस योजना के अर्न्तगत पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में छात्रों को कक्षा 11 तथा 12 हेतु रू0 7000/– एवं व्यावसायिक एवं तकनीकी हेतु रू0 10000/– वार्षिक

तथा अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्क्रमों हेतु रू0 3000/– वार्षिक संस्था के खाते में दिये जाने की व्यवस्था है तथा छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है।

इस योजना के अन्तर्गत वह सभी 80 पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है जो भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अर्न्तगत प्रशासनिक व्यय के मद में रू0 458.11 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान कराया गया है।

5.2.5–भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्या जी0आई0 43/52–1–2008–01 (137)/2007 दिनांक 29 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 तक 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश आधारित केन्द्रपुरोनिधानित योजना थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 से भारत सरकार द्वारा यह योजना शत्प्रतिशत केन्द्रपोषित कर दी गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (लेकिन कक्षा 1 के छात्र/छात्राओं हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के स्थान पर उनके अभिभावक की वार्षिक आय ही आधार होगी) अर्ह माने जायेंगे। पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति एवं एडमिशन एवं ट्यूशन फीस प्रदान की जाती है–

निर्धारित दरें :

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
कक्षा 1 से 5	रू0 100/–	–
कक्षा 6 से 10	रू0 100/–	रू0 600/–

नोट :

इस योजना के अन्तर्गत एडमिशन फीस के रूप में रू0 500/– वार्षिक एवं ट्यूशन फीस के रूप में रू0 350/–प्रतिमाह (अधिकतम रू0 3500/– वार्षिक) अधिकतम कोर्स फीस के रूप में तथा मेन्टेनेन्स के रूप में 1000/– वार्षिक अर्थात छात्रवृत्ति के रूप में कुल रू0 5000/– अधिकतम धनराशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अर्न्तगत रू0 60000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान कराया गया है।

5.2.6 भारत सरकार द्वारा संचालित फ्री–कोचिंग एण्ड एलाइड योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासनादेश संख्या जी0आई0 09/52–1–2007–1(12)/07 दिनांक 30 अगस्त, 2007 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा रोजगार सम्बन्धी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भारत सरकार की

स्वीकृति के अनुसार चयनित संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सीधे सहायता दी जाती है।

5.2.7–मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्लान

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 144 विकास खण्डों तथा 18 नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों के चहुॅमुखी विकास एवं उन्हे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में अल्पसंख्यकों की मूलभूत समस्याओं एवं आवश्यकताओं के निराकरण एवं क्रिटिकल गैप्स को दूर किये जाने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों में सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे–

क. जनपद स्तर पर धार्मिक आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक अन्तर को दूर करने सम्बन्धी कार्य

1.	साक्षरता दर	2.	महिला साक्षरता दर
3.	कार्य में सहभागिता दर	4.	महिला कार्य में सहभागिता दर

ख 12वी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है।

1–शैक्षणिक सुविधाओं का विकास।
2–स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना।
3–पेयजल आपूर्ति ।
4–रोजगार एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा पूॅजीगत मद में रू0 50162.83 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रू0 15750.00लाख अर्थात कुल रू0 65912.83 लाख की धनराशि के बजट में प्राविधान के सापेक्ष रू0 31773.80 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी । इस धनराशि से मुख्यतः राजकीय पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 ,राजकीय इण्टर कालेज, छात्रावास, पाइप लाईन पेयजल परियोजना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, आगनबाड़ी केन्द्र एवं हैन्ड पम्प की स्थापना की जा रही है। 12वी पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत कौशल विकास के लिए निर्धारित है।

योजानन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा पूॅजीगत मद में रू0 34090.00.लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रू0 3750.00 लाख अर्थात कुल रू0 37840.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है।

5.3 उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनायें

5.3.1 व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, टाइपिंग, वैल्डिंग, मोटर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, आटोमोबाइल्स, रैफ्रीजरेशन एयरकण्डीशनिंग एवं फैशन डिजाइनिंग आदि अनेक उपयोगी व्यवसायों में अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को निगम के टर्मलोन/मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान कर उन्हें स्वतः रोजगार में स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

2017–18 में रू0 0.01 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

5.3.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहतर अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से व्यावसायिक कोर्सों तथा नौकरियों के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इस वर्ग के प्रतियोगियों को तैयार करने हेतु निगम द्वारा कोचिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिये वही अभ्यर्थी पात्र हैं, जिनके अभिभावकों की आय रूपया 1.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो। व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा, उ0प्र0 बोर्ड से कम से कम 55 प्रतिशत अथवा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से कम से कम 65 प्रतिशत अंको के साथ उर्त्तीण की हो।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 0.01 लाख का प्राविधान कराया गया है।

5.3.3 अधिकारिता तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

निगम द्वारा एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, डालीगंज स्थित खन्ना मिल कम्पाउण्ड लखनऊ में संचालित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में 5 विभिन्न ट्रेडों में (इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक, वेल्डिंग, ए0सी0 एवं रेफ्रीजरेशन तथा फैशन डिजाइनिंग) निगम के पूर्णकालिक प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। छः माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक ट्रेड में 20–20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु चलाया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को पात्रता के आधार पर निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण भी प्रदान किया जाता है।

5.4 उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम की योजनायें

5.4.1 वक्फ सम्पत्तियों का विकास

वक्फ़ विकास निगम का मुख्य कार्य वक्फ सम्पत्तियों का विकास करना है। निगम द्वारा सर्वे कमिश्नर, वक्फ/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के जिला स्तरीय कार्यालयों के सहयोग से विकास हेतु वक्फ सम्पत्तियों का चयन किया जाता है। चयन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सम्पत्ति वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हो, उसके स्वामित्व का कोई विवाद न हो, उस पर पहले से कोई कर्ज न हो, प्रस्तावित योजना से आराजी पर स्थित धार्मिक भवनों/कब्रों को क्षति पहुंचने की सम्भावना न हो, आराजी पर अनाधिकृत कब्जा न हो तथा योजना पर व्यय की गयी धनराशि को विकसित की गयी सम्पत्ति की आय से सर्विस एवं सुपरविजन चार्ज सहित निर्धारित अवधि में वापस लिया जाना सम्भव हो।

निगम द्वारा वक़्फ़ भूमि को पट्टे पर लेकर उस पर निर्माण कार्य कराया जाता है तथा विकसित योजना की आय के 70 प्रतिशत भाग से निगम द्वारा निवेशित धनराशि मय 12.50 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज (योजना की लागत पर एक बार) एवं 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है तथा आय का शेष 30 प्रतिशत भाग वक़्फ़ की आवश्यकता एवं उसकी बेहतरी के लिये छोड़ दिया जाता है।

वक्फ़ परियोजनाओं के निर्माण कार्य की देख रेख के लिये जिला स्तर पर एक निर्माण समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सभी सम्बन्धित पक्षों का प्रतिनिधित्व होता है। निगम की धनराशि की वापसी का दायित्व भी इसी समिति का होता है तथा धनराशि की वापसी के पश्चात् उक्त निर्माण समिति भंग कर दी जाती है एवं विकसित की गई सम्पत्ति वक़्फ़ की प्रबन्ध समिति को वापस कर दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 तक रू0 694.53 लाख की धनराशि निवेशित कर प्रदेश में स्थित 117 वक़्फ़ परियोजनाओं पर 1230 दुकानें, 05 मैरिज हाल, 04 गेस्ट हाउस तथा 23 आवासीय सेट आदि का निर्माण कराया गया है, जिसके फलस्वरूप वक़्फ सम्पत्तियों को रू0 70.00 लाख की अतिरिक्त वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

5.4.2 निर्माण एजेन्सी के रुप में कार्य

उ0प्र0 वक़्फ़ विकास निगम लि0 द्वारा वक्फ़ सम्पत्तियों के विकास के साथ–साथ विभागीय निर्माण एजेन्सी के रूप में डिपाजिट वर्क का कार्य भी किया जाता है। इसी के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत रू0 3707.66 लाख का कार्य आबॅटित किया गया है उक्त निर्माण कार्य से निगम को सुपरविजन चार्जेज के रूप में रू0 411.96 लाख की आय प्राप्त होगी।

5.5 उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों के लिये व्यवस्थाः–

5.5.1 उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु व्यवस्था :–

प्रदेश हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के लिए उ0प्र0 राज्य हज समिति का गठन किया गया है।

बर्ष 2016 में उ0प्र0 से 22004 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2017 में लगभग 29017 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है जिन्हे हज यात्रा पर भेजा जायेगा।

वर्ष 2016–17 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए मानक मद संख्या–31–सहायक अनुदान–सामान्य(वेतन) मद में तथा रू0 150.00 लाख तथा मद संख्या–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के लिये रू0 55.00 लाख का प्राविधान कराया गया एवं पूर्ण धनराशि व्यय कर ली गयी

वर्ष 2017–18 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए मानक मद संख्या–31–सहायक अनुदान–सामान्य(वेतन) मद में रू0 189.70 लाख मद संख्या–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के लिये रू0 .55.00 लाख तथा मद संख्या–53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद में रू0 10.46 लाख अर्थात कुल रू0 255.16 लाख का प्राविधान कराया गया है।

परिशिष्ट–1

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में

सृजित पदों का विवरण

क्रम सं0	पद	सृजित पदों की संख्या			
		वर्ष 2013–2014 के अन्त में	वर्ष 2014–2015 के अन्त में	वर्ष 2015–2016 के अन्त में	वर्ष 2016–2017 के अन्त तक
1	2	3	4	5	6
(क)	**निदेशालय स्तर पर**				
1	निदेशक	1	1	1	1
2	संयुक्त निदेशक	2	3	5	5
3	उप निदेशक	3	3	0	0
4	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	1	1
5	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	0	0	0	2
6	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	1	1	1
7	कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	1	1
8	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1	1
9	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	1	1	1	1
10	लेखा परीक्षक	2	2	2	2
11	लेखाकार	1	1	1	1
12	सहायक लेखाकार	2	2	2	2
13	आशुलिपिक	4	4	4	4
14	वरिष्ठ सहायक	2	2	2	2
15	कनिष्ठ सहायक	4	4	4	4
16	चालक	2	2	2	2
17	चपरासी	8	8	8	8
(ख)	**मण्डल स्तर पर**				
1	मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/उप निदेशक	7	7	13	13
2	वरिष्ठ सहायक	7	7	7	7
3	कनिष्ठ सहायक	7	7	7	7
4	चालक	7	7	7	7
5	चपरासी	7	7	7	7
(ग)	**जिला स्तर पर**				
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	71	75	75	75
2	लेखाकार	.....	.....	.....	61
3	सहायक लेखाकार	.....	.....	.....	22
4	वरिष्ठ सहायक	71	75	75	75
5	कनिष्ठ सहायक	70	71	71	71
6	चालक	25	25	25	25
7	चपरासी	59	64	64	64

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 का संगठनात्मक ढ़ॉचा

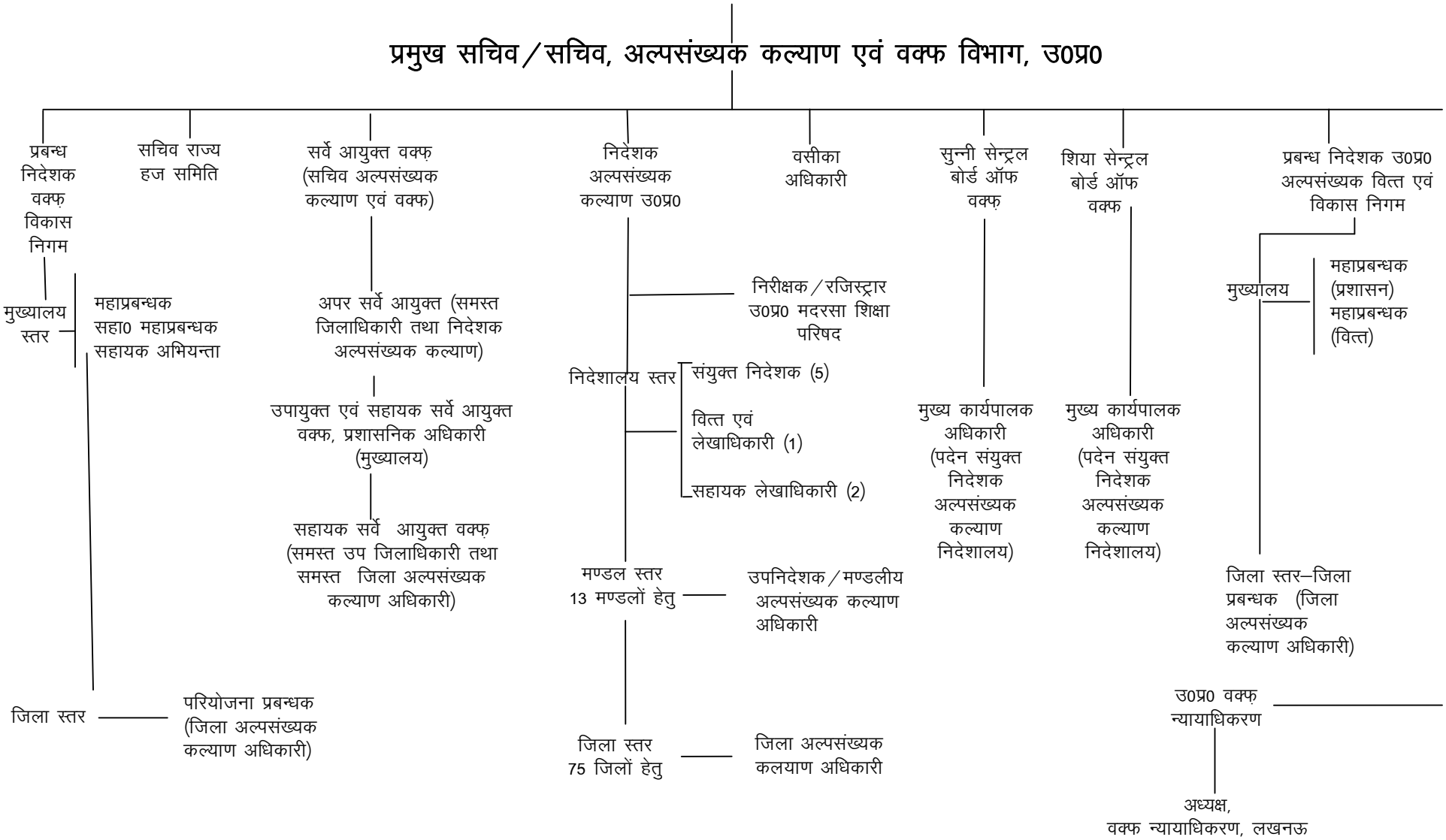

परिशिष्ट–3

6.1 – वित्तीय आवश्यकताओं का कार्यक्रमवार वर्गीकरण

(धनराशियां लाख रुपयें में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
		2015–2016			2016–2017			2016–2017			2017–2018		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	निदेशन तथा प्रशासन	26.21	1444.39	1470.60	69.45	2308.13	2377.58	25.13	1431.25	1456.38		2204.51	2204.51
2	अरबी, फारसी मदरसों												
	से सम्बन्धित योजनायें	32556.93	36372.01	68928.94	57733.03	41682.31	99415.34	35077.88	38817.36	73895.24		77875.91	77875.91
3	अल्पसंख्यक वित्तीय												
	विकास निगम तथा	-------	------	-------	6422.06	0.03	6422.09	6422.06	--------	6422.06	0.01	0.03	0.04
4	वक्फ विकास निगम से				150.00	------	150.00	150.00	-------	150.00			
	सम्बन्धित योजनायें	-------	--------	----------									
5	कब्रिस्तान/ अंत्येष्टि स्थल की चहारदिवारी	20000.00	--------	20000.00	40000.00	-------	40000.00	31851.40	---------	31851.40	-------	--------	------
5	अल्पसंख्यक समुदाय के												
	छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	20549.67	6583.98	27133.65	84734.56	11894.00	96628.56	30357.24	10099.31	40456.55		33447.00	33447.00
	की योजना												
6	केन्द्र पुरोनिधनित												
	योजनायें	15693.66	---------	15693.66	64521.16	---------	64521.16	31803.25	----------	31803.25	34771.16	98138.33	132909.49
7	अन्य	2610.64	693.73	3304.37	10508.10	1088.70	11596.80	2063.00	713.68	2776.68	0.02	1124.39	1124.41
	योग	91437.11	45094.11	136531.22	264138.36	56973.17	321111.53	137749.96	51061.60	188811.56	34771.19	212790.17	247561.36

6.2 – वित्तीय आवश्यकताओं का उद्देश्यवार वर्गीकरण

(धनराशियां लाख रूपये में)

क्र0सं0	मद	वास्तविक व्यय			आय –व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
		2015–2016			2016–2017			2016–2017			2017–2018		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01–वेतन	8.09	712.37	720.46	15.00	1003.20	1018.20	7.31	803.28	810.59		1891.08	1891.08
2	02–मजदूरी	0.47	4.65	5.12	0.50	7.27	7.77	0.48	4.39	4.87		6.77	6.77
3	03–मँहगाई भत्ता	9.04	778.67	787.71	20.40	1364.35	1384.75	6.12	676.20	682.32		113.46	113.46
4	04–यात्रा भत्ता	0.15	8.14	8.29	0.50	14.80	15.30	0.27	8.72	8.99		15.30	15.30
5	05–स्थानान्तरण यात्रा–व्यय	0.25	2.37	2.62	0.25	3.40	3.65	------	1.44	1.44		3.65	3.65
6	06–अन्य भत्ते	0.71	77.81	78.52	3.00	96.50	99.50	0.44	71.73	72.17		98.70	98.70
7	07–मानदेय	0.89	33.80	34.69	5.00	115.00	120.00	1.70	45.17	46.87		108.00	108.00
8	08–कार्यालय–व्यय	0.99	39.89	40.88	1.00	47.13	48.13	0.99	36.03	37.02		49.13	49.13
9	09–विद्युत देय	0.16	4.63	4.79	0.50	7.11	7.61	0.16	4.24	4.40		7.61	7.61
10	10–जलकर/जल प्रभार	------	-------	------	-----	0.51	0.51	------	-------	----------		0.51	0.51
11	11–लेखन सामग्री	0.99	28.63	29.62	1.00	35.39	36.39	0.99	29.04	30.03		37.39	37.39
12	12–कार्यालय फर्नीचर	0.99	19.79	20.78	1.00	24.85	25.85	0.98	19.00	19.98		26.75	26.75
13	13–टेलीफोन पर व्यय	0.26	6.80	7.06	2.10	15.53	17.63	0.49	7.23	7.72		16.13	16.13
14	14–वाहनो का क्रय	------	38.44	38.44	----------	90.00	90.00	-----	---------	---------		14.00	14.00
15	15–वाहनों का अनुरक्षण	-------	30.02	30.02	0.50	42.80	43.30	0.49	30.61	31.10		44.00	44.00
16	16–व्यावसायिक विशेष	4.20	522.53	526.73	3010.50	530.55	3541.05	27.82	517.80	545.62		2848.05	2848.05
17	17–किराया,उपशुल्क एवं कर	0.16	1.51	1.67	0.50	44.02	44.52	------	2.01	2.01		40.02	40.02
18	18–प्रकाशन	-------	0.50	0.50	----------	3.55	3.55	-------	0.44	0.44		3.55	3.55
19	20–सहायक अनुदान	25088.69	1414.28	26502.97	57950.78	2220.34	60171.12	29989.61	1521.19	31510.80		41926.12	41926.12
20	21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	19094.94	6568.98	25663.92	76489.56	11879.00	88368.56	22197.64	10091.80	32289.44		94183.43	94183.43
21	22–आतिथ्य व्यय	-------	0.19	0.19	------	2.00	2.00	------	0.46	0.46		2.00	2.00
22	24–वृहत् निर्माण	36682.31	---------	36682.31	99179.60	-------	99179.60	64140.94	---------	64140.94	34771.18	-------	34771.18
23	26– मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयत्र	--------	0.97	0.97	--------	2.00	2.00	--------	---------	----------		2.00	2.00
24	निवेश/ऋण	---------	----------	---------	6572.06	--------	6572.06	6572.06	---------	6572.06	0.01	-------	0.01
25	31–सहायक अनुदान	9874.94	34429.97	44304.91	18320.00	38270.00	56590.00	13450.58	37083.30	50533.88		64780.32	64780.32
26	32–ब्याज/लाभांश	-------	1.65	1.65	----------	1.80	1.80	--------	1.75	1.75		1.80	1.80
27	33–पेंशन/आनुतोषिक	-------	303.70	303.70	----------	1056.00	1056.00	--------	52.87	52.87		1056.00	1056.00
28	35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन	665.81	------	665.81	---------	-------	———	-------	---------	----------		-------	-------
29	42–अन्य व्यय	1.98	27.85	29.83	2516.25	33.60	2549.85	1349.18	26.22	1375.41		1549.85	1549.85
30	44–प्रशिक्षण व्यय	--------	----------	---------	0.10	2.44	2.54	--------	-------	--------		2.44	2.44
31	45–अवकाश यात्रा–व्यय	0.10	1.44	1.54	0.10	5.21	5.31	--------	0.13	0.13		5.31	5.31
32	46–कम्प्यूटर हा0सा0 क्रय	---------	11.29	11.29	25.00	13.50	38.50	--------	0.56	0.56		38.50	38.50
33	47–कम्प्यूटर स्टेशनरी	0.99	12.79	13.78	23.00	16.38	39.38	1.50	11.96	13.46		39.88	39.88
34	49–चिकित्सा व्यय	------	10.32	10.32	0.50	24.20	24.70	0.20	13.96	14.16		16.02	16.02
35	51–वर्दी व्यय	------	0.13	0.13	----------	0.74	0.74	-------	0.07	0.07		1.12	1.12
36	52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)											158.83	158.83
37	53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(सहायता प्राप्त)											3702.45	3702.45
	योग	91437.11	45094.11	136531.22	264138.36	56973.17	321111.53	137749.96	51061.60	188811.56	34771.19	212790.17	247561.36

6 .3 – वित्तीय साधनों के स्रोत

(धनराशियां लाख रुपये में)

क्र0 सं0	अनुदान	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	संख्या		2015–2016			2016–2017			2016–2017			2017–2018		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	48	2049	-------	1.65	1.65	---------	1.80	1.80	-------	1.75	1.75		1.80	1.80
2	48	2070	26.21	1444.39	1470.60	69.45	2308.13	2377.58	25.13	1431.25	1456.38		2204.51	2204.51
3	48	2071	--------	302.81	302.81	----------	1055.00	1055.00	--------	52.22	52.22		1055.00	1055.00
4	48	2075	--------	48.50	48.50	----------	53.93	53.93	----------	51.12	51.12		52.75	52.75
5	48	2202	32556.93	36069.20	68626.13	57733.03	40627.31	98360.34	35077.88	38765.14	73843.02		110457.81	110457.81
6	48	2225	20549.67	6583.98	27133.65	84734.56	11894.03	96628.59	30357.24	10099.31	40456.55		94198.46	94198.46
7	48	2235	941.18	-------	941.18	15750.00	---------	15750.00	1476.72	--------	1476.72		3750.00	3750.00
8	48	2250	15.00	643.58	658.58	100.00	1032.97	1132.97	100.00	660.81	760.81		1069.84	1069.84
9	48	4202	1950.97	--------	1950.97	9576.70	-------	9576.70	1992.46	----------	1992.46	681.17		681.17
10	48	4225	---------	--------	----------	150.00	-------	150.00	150.00	----------	150.00	0.01		0.01
11	48	4235	34731.34	---------	34731.34	88090.00	-------	88090.00	62148.47	--------	62148.47	34090.00		34090.00
12	48	4250	665.81	-------	665.81	1512.56	-------	1512.56	-------	----------	----------	0.01		0.01
13	48	6075	----------	---------	----------	6422.06	----------	6422.06	6422.06	----------	6422.06	-----		-----
		योग	91437.11	45094.11	136531.22	264138.36	56973.17	321111.53	137749.96	51061.60	188811.56	34771.19	212790.17	247561.36